उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-15/2018/297/38-6-18-11(एसआरएलएम)/2018

लखनऊ दिनांक-06 जून, 2018

<u>कार्यालय ज्ञाप/संशोधन</u>

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान सं0-83 हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-13/2018/234/38-6-18-11(एसआरएलएम)/2018, दि0-31.05.2018 के प्रस्तर-3 की प्रथम पंक्ति में अनुदान सं0-83 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश अनुदान सं0-13 अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश दि0-31.05.2018 के प्रस्तर-3 की प्रथम पंक्ति में अंकित अनुदान सं0-13 के स्थान पर अनुदान सं0-83 पढा जाए। उक्त शासनादेश दि0-31.05.2018 को इस सीमा तक कृपया संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-15/2018/297(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉं एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
11- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in